<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)
अंतिम प्रतिवेदन परिवादी हड़मानराम
फौजदारी एफ.आर. प्रकरण संख्या 356/2025
एफ.आई.आर. संख्या 64/2024 पुलिस थाना डेगाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2026	वकील परिवादी/मजरूब श्री रणजीत डूडी उपस्थित। मजरूब रामप्रसाद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(8) सीआरपीसी पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में मजरूब रामप्रसाद की ओर से यह अंकन किया गया है कि मुलजिमान द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की गई थी, जिससे परिवादी के संगीन चोटें आयी, जिससे मेरा हाथ व पैर टूट गया था, जिसके निशान आज भी मेरे शरीर पर मौजूद है। मुलजिमानों का ईरादा मुझे जान से मारना था। लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने मेरी संगीन चोटों को नजरअंदाज करते हुवे हमारे मुकदमे को झुंठा बताया, जिससे मुलजिमान व पुलिस की मिलीभगत साफ साफ बयान हो रही है और प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण का पुनः अनुसंधान किसी अन्य उच्च अधिकारी से करावाया जाकर निष्पक्ष रिपोर्ट न्यायालय में अतिशीघ्र मंगवाने को आदेश फरमाने की कृपा करावें। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी हड़मानराम ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि समाज के चुनाव के दौरान मुलजिम पारसमल बावरी ने कहा कि मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिये इस बार आप कोई पंचायती नहीं करेगें, तब मेरे पुत्र रामप्रसाद व हरीराम ने कहा समाज जिसे चाहेगा, वह अध्यक्ष बनेगा, इतने में	

मुलजिम पारसमल क्रोधित हो गया एवं अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर मेरे पुत्र रामप्रसाद एवं हरीराम के साथ थापा, मुक्कों, लाठियों, सरियों से मारपीट करना शुरू कर दिया एवं मुलजिम मनीष कुमार ने कैम्पर गाड़ी को स्टार्ट कर रामप्रसाद एवं हरीराम को जान से मारने के इरादे से दोनों के उपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे रामप्रसाद का पैर व हाथ जगह–जगह से फैक्चर हो गया एंव हरीराम का पैर एवं हाथ फैक्चर हो गये। मुलजिमान इन दोनों को मरा हुवा समझकर मौके पर से फरार हो गये, राह चलते लोगों ने पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आ गई एवं इन दोनों होस्पीटल में भर्ती कराया।

यह काबिले गौर है कि प्रकरण में मजरूब रामप्रसाद के धारा 161 सीआरपीसी के बयान तक दर्ज नहीं किए गए हैं और न ही उसका कोई चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर संलग्न किया गया है। प्रकरण में अन्य मजरूब हरिराम के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी मौजूद है, जिसमें यह अंकन है कि मुलजिमान ने मेरे व रामप्रसाद के साथ थापा मुक्कों लाठियों, सरियों से मारपीट करना शुरू कर दिया एवं मुलजिम मनीष कुमार ने कैम्पर गाड़ी को स्टार्ट कर मुझे व रामप्रसाद को जान से मारने के इरादे से दोनों के उपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मेरे व रामप्रसाद के हाथों व पैरों में चोटें आई। मुलजिमान हम दोनों को मरा हुवा समझकर मौके पर से फरार हो गये, राह चलते लोगों ने पुलिस को सूचना दी व हमे हॉस्पीटल पहुंचाया।

वकील मजरूब का तर्क है कि मजरूब रामप्रसाद के गंभीर चोटें आई थी और वह दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा था। प्रकरण में मुलजिमान के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित हो सकता था, परंतु मुलजिमान को बचाने के लिए अनुसंधान अधिकारी ने न तो

रामप्रसाद के पुलिस बयान लिए और न ही उसका चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने न तो मजरूब रामप्रसाद के धारा 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध किए हैं और न ही मजरूब रामप्रसाद का चोट प्रतिवेदन शामिल मिसल किया है। अतः ऐसी स्थिति में अंतिम प्रतिवेदन अस्वीकार किया जाता है और पत्रावली वास्ते तफ्तीश हेतु पुलिस उप अधीक्षक, वृत डेगाना, जिला नागौर को प्रेषित की जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान करवाकर नतीजा न्यायालय में शीघ्र पेश करावे।